क्रम-संख्या—321

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 20 नवम्बर 2007

कार्तिक 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2361/79–वि०–1–07–1(क)49-2007

लखनऊ, 20 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 31 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

निरसन एवं अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्रवाई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958) की धारा 11 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कुलपति के पद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और कोई व्यक्ति तीन से अधिक कार्यकाल के लिये कुलपति का पद धारण करने हेतु पात्र नहीं होगा किन्तु कुलपति के पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम और अधिकतम आयु के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह विनिश्चय किया गया कि कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु और कुलपति का पद धारण करने वाले व्यक्ति की अधिवर्षिता आयु की व्यवस्था करने हेतु उक्त धारा में संशोधन किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 2361/LXXIX-V-1-07-1 (ka)49-2007

Dated Lucknow November 20, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007:–

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ACT, 2007

[U.P. Act no. 35 of 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 31, 2007.

Amendment of section 11 of U.P. Act no. 45 of 1958

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalya Adhiniyam, 1958, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(2)*(a)* Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor, who has not attained the age of 65 years may be appointed as such for second term :

Provided that the Vice-Chancellor may in writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptence by the Chancellor of such resignation."

(b) Sub-section (3) shall be *omitted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 33 of 2007

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 11 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (Up Act no. 45 of 1958) *inter alia* provides that the terms of office of the Vice-Chancellor shall be three year and no person shall be eligible to hold the office of the Vice-Chancellor for more than three terms but there was no provision with respect to the minimum and maximum age of the person to be appointed to the office of the Vice-Chancellor. It was, therefore decided to amend the said section to provide for the maximum age for the appointment to the office of the Vice-Chancellor and the superannuation age of the person holding the office of the Vice-Chancellor.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Krishi and Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (U.P. Ordinance no. 33 of 2007) was promulgated by the Governor on August 31, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–702 राजपत्र (हि०)–2007–(1716)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–359 सा० विधायी–2007–(1717)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।